भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3415

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम

3415.**श्री उज्जवल रमण सिंहः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने छात्राओं, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अपना इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यक्रम में भागीदारी के लिए महिला आवेदकों को श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का चयनित महिलाओं को इंटर्नशिप के दौरान मंत्रालय द्वारा संचालित अन्य पायलट परियोजनाओं और सूक्ष्म अध्ययनों में काम करने का अवसर प्रदान करने का भी विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विशेष रूप से गैर-टियर-1 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आनेवाली प्रतिभाशाली महिलाओं को प्राथमिकता देने का विचार है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वर्ष 2024 से संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार महिलाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम संचालित करता है। 21-40 वर्ष की आयु

वर्ग की महिला छात्र, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए पात्र हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को अल्पकाल के लिए शामिल करके प्रायोगिक परियोजनाओं/सूक्ष्म अध्ययनों सहित मंत्रालय की नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है, जिसमें मंत्रालय के चल रहे कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। अपनी इंटर्नशिप के सफल समापन के बाद, यह आशा की जाती है कि प्रशिक्षु अनुभवजन्य विश्लेषण, रिपोर्टिंग, नीति दस्तावेजों इत्यादि के रूप में सूचना देकर नीति निर्माण में योगदान दे सकेंगे और इस प्रकार देश में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मुद्दों पर सूचना के अंतराल को पाट सकेंगे।

प्रतिनिधित्व और विविधता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यरत एवं गैर-कार्यरत; ग्रामीण और शहरी; तथा क्षेत्रवार श्रेणियों से प्रशिक्षुओं का चयन किया जाता है। कार्यकारी समूह में शिक्षक, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं, जबकि गैर-कार्यकारी समूह में स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में नामांकित छात्र शामिल होते हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय विविधता बढ़ाने के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ गैर-टियर-। शहरों से प्रशिक्षुओं का चयन किया जाता है।

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष में चार बैचों अर्थात मई-जून, अगस्त-सितंबर, नवंबर-दिसंबर और फरवरी-मार्च में इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाया जाता है। प्रत्येक बैच दो माह का होता है तथा प्रत्येक बैच में अधिकतम 20 प्रशिक्षु शामिल किए जाते हैं।

******